


FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीक

नाम: नजवान सिंह बनाम वाबुराम
 दिनांक मुकदमा: प्र० पत्र अस्थाई निषे. नं. 298 तारीख: 2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय तपुहस्ताहर जज	नम
23-2-22	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित/प्रीता, अधिकारी दारे/अन्य कार्य में नहीं/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19-5-22 को पेश हो। @INM </div>	
19-5-22	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित/प्रीता, अधिकारी दारे/अन्य कार्य में नहीं/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8-8-22 को पेश हो। @INM	
29-22	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित/प्रीता, अधिकारी दारे/अन्य कार्य में नहीं/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10-11-22 को पेश हो। @INM </div>	
10.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकूलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। @INM	 10/11/22 दिनांक उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर